

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....  
04/नि.पणन (अधि.)-30/11

प्रेषक,

रामाश्रय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:-वर्ष 2011-12 खरीफ विपणन मौसम अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत 400.00 (चार सौ) करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि को रबी विपणन मौसम 2012-13 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति के उपयोग करने हेतु स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03 दिनांक 04.01.12 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 365 दिनांक 22.12.11 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों के द्वारा राज्य के कृषकों के धान की अधिप्राप्ति के क्रम में कृषकों को तत्काल भुगतान के लिए राज्य योजनान्तर्गत 400.00 (चार सौ) करोड़ रुपये ऋण 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग रबी विपणन मौसम 2012-13 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य हेतु भी करने की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

3. चूँकि उक्त स्वीकृत ऋण की निकासी पूर्व में की जा चुकी है, अतः राशि की निकासी की आवश्यकता नहीं है।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

5. दिनांक 08.05.12 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./-

(रामाश्रय कुमार)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक.....118...../पटना, दिनांक.....11/5/11 2

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।